रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

103

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 1974/माघ 2, 1895

No. 41] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 1974/MAGHA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19*th January* 1974

S.O. 64(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and third Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, hereinafter referred to as the said Rules, in the First Schedule,—

(i) for entry 1A, the following entry shall be substituted, namely:—

"1A. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya):

(i) Department of Foreign Trade (Videsh Vyapar Vibhag).

(ii) Department of Export Production (Niryat Utpadan Vibhag).

(iii) Department of Internal Trade (Aantrik Vyapar Vibhag).";

(ii) for entry 15, the following entry shall be substituted, namely:—

"15. Ministry of Petroleum and Chemicals (Petroleum Aur Rasayan Mantralaya):

(i) Department of Petroleum (Petroleum Vibhag).

(ii) Department of Fertilisers and Chemicals (Urvarak Aur Rasayan Vibhag).";

3. In the Second Schedule to the said Rules—

(a) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)",

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR VIBHAG)", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"I. General International Trade Policy

1. International Commercial Policy.
2. International agencies principally connected with commercial policy (e.g., UNCTAD, ECAFE, ECA, ECIA, EEC, EFTA, GATT).
3. International Commodity Agreements other than agreements relating to Wheat.
4. All matters relating to international trade policy including tariff and non-tariff barriers.

II. Foreign Trade

5. All matters relating to foreign trade including trade negotiations and agreements (including General Agreement on Tariffs and Trade and Commonwealth Tariff Preferences), trade missions and delegations, trade cooperation and promotion and protection of interests of Indian traders abroad.
6. Import and Export Trade Policy and Control excluding the matters relating to—
   (i) import of feature films;
   (ii) export of Indian films—both feature length and shorts; and
   (iii) import and distribution of cine-film (un-exposed) and other goods required by the film industry.
7. Chief Controller of Imports and Exports.

III. State Trading

8. Policies of State trading and performance of organisations established for the purpose, including:
   (i) State Trading Corporation and its subsidiaries, including:—
      (a) Handicrafts & Handlooms Export Corporation.
      (b) Cashew Corporation of India.
      (c) Projects & Equipment Corporation.
   (ii) Minerals & Metals Trading Corporation.

IV. Trading with the enemy; Enemy property

9. Trading with the enemy; enemy firms and enemy property; reparations (other than German industrial equipment); Controller of Enemy Trading; Controller of Enemy Firms; Custodian of Enemy Property for India.";

(ii) after the entries under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR VIBHAG)", the following sub-heading and entries shall be inserted namely:—

"B. DEPARTMENT OF EXPORT PRODUCTION (NIRYAT UTPADAN VIBHAG)

1. Tariff Commission—The Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951), Tariff Protection to Industries, International Customs Tariff Bureau.

2. Development and expansion of export production in relation to all commodities, products, manufactures, and semi-manufactures including the following:

(a) agricultural produce within the meaning of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(b) marine products;

(c) industrial products (engineering goods, chemicals, plastics, leather products, etc.);

(d) fuels, minerals and mineral products;

(e) specific export-oriented products (textiles, jute products, handicrafts, plantation crops, etc.) which are directly the charge of this Department.

3. All organisations and institutions connected with the provision of services relating to the export effort including:

(a) Export Credit and Guarantee Corporation.

(b) Export Inspection Council.

(c) Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

(d) Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity.

(e) Free Trade Zones.

4. Projects and programmes for stimulating and assisting the export efforts.

5. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of:

(a) All textiles, including handlooms and readymade garments, but excluding industries relating to the production of silk and non-cellulosic synthetic fibres (nylon, terylene, polyester, acrylic).

(b) Jute.

(c) Handicrafts.

(d) Plantation crops, tea, coffee, rubber and cardamom.

6. (i) Textile Commissioner.

(ii) Jute Commissioner.

(iii) Cotton Corporation of India Ltd.

(iv) Jute Corporation of India Ltd.

(v) Tea Trading Corporation of India Ltd.

(vi) All India Handicrafts Board.

(vii) All India Handloom Board.

(viii) Tea Board.

(ix) Coffee Board.

(x) Rubber Board.

(xi) Cardamom Board.";

(iii) for the sub-heading "B. DEPARTMENT OF INTERNAL TRADE (AANTRIK VYAPAR VIBHAG)", the following sub-heading shall be substituted, namely:—

"C. DEPARTMENT OF INTERNAL TRADE (AANTRIK VYAPAR VIBHAG)";

(b) under the heading "MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (PETROLEUM AUR RASAYAN MANTRALAYA)",

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF PETROLEUM (PETROLEUM VIBHAG)", after entry 5, the following entries shall be inserted, namely:—

"5A. Petrochemicals.

5B. Industries relating to the production of Non-Cellulosic Synthetic Fibres (Nylon, Terylene, Polyester, Acrylic, etc.).

5C. Synthetic Rubber.

5D. Dye-stuffs.";

(ii) for the sub-heading "B. DEPARTMENT OF CHEMICALS (RASAYAN VIBHAG)", the following sub-heading shall be substituted, namely:—

"B. DEPARTMENT OF FERTILISERS AND CHEMICALS (URVARAK AUR RASAYAN VIBHAG)";

(iii) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF FERTILISERS AND CHEMICALS (URVARAK AUR RASAYAN VIBHAG)" as so substituted, entries 2, 3, 4 and 7 shall be omitted.

V. V. GIRI,
President.

[No. 74/2/2/74-CF]
J. S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(मंत्रिमण्डल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1974

सं० का० 64(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (एक सौ तीनवां संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) में प्रथम अनुसूची में,—

(i) प्रविष्टि 1-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"1-क. वाणिज्य मंत्रालय:

(i) विदेश व्यापार विभाग।

(ii) निर्यात उत्पादन विभाग।

(iii) आंतरिक व्यापार विभाग।"

(ii) प्रविष्टि 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"15. पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय:

(i) पैट्रोलियम विभाग।

(ii) उर्वरक और रसायन विभाग।";

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में—

(क) "वाणिज्य मंत्रालय" शीर्षक के नीचे,

(i) "विदेश व्यापार विभाग" उपशीर्षक के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"I. साधारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति

1. अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक-नीति ।

2. वाणिज्य-नीति से मुख्यतः सम्बंधित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण (अर्थात्, यू एन सी टी ए डी, ई सी ए एफ ई, ई सी ए, ई सी आई ए, ई ई सी, ई एफ टी ए, जी ए टी टी) ।

3. गेहूं से भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु-करार ।

4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से सम्बंधित अन्य विषय जिसमें टैरिफ और टैरिफ-इतर अवरोध सम्मिलित हैं ।

II. विदेश व्यापार

5. विदेश व्यापार से संबंधित अन्य विषय जिनमें व्यापार वार्ता और करार (जिनमें टैरिफ और व्यापार विषयक साधारण करार और राष्ट्र मण्डल टैरिफ अधिमान सम्मिलित हैं), व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमण्डल, व्यापार सहयोग और संबर्धन, और विदेशस्थ भारतीय व्यापारियों के हितों का संरक्षण सम्मिलित है ।

6. आयात और निर्यात व्यापार नीति और नियंत्रण जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित नहीं हैं—

(i) कथा चित्रों का आयात;

(ii) भारतीय फिल्मों का निर्यात दीर्घ और लघु कथा चित्र दोनों; और

(iii) चलचित्र (अनुद्भासित) और फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित अन्य वस्तुओं का आयात और वितरण ।

7. मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात ।

III. राज्य व्यापार

8. राज्य व्यापार की नीतियां और इस प्रयोजन के लिए स्थापित संगठनों का कार्य, जिसमें,

(i) राज्य व्यापार निगम और उसके समनुषंगीय, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(क) हस्त शिल्प और हथ करघा निर्यात निगम ।

(ख) भारतीय काजू निगम

(ग) परियोजना और उपस्कर निगम ।

(घ) खनिज और धातु व्यापार निगम

IV शत्रु के साथ व्यापार; शत्रु-सम्पत्ति

9. शत्रु के साथ व्यापार; शत्रु-फर्में और शत्रुसम्पत्ति; हानि-पूर्ति (जर्मन औद्योगिक उपस्कर से भिन्न), शत्रु व्यापार नियंत्रक; शत्रु फर्म नियंत्रक भारत के लिए शत्रु सम्पत्ति-अभिरक्षक",

(ii) "क. विदेश व्यापार विभाग" उप-शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(ख) निर्यात उत्पादन विभाग

1. टैरिफ आयोग [टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 (1951 का 50)] उद्योगों को टैरिफ संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-शुल्क टैरिफ-ब्यूरो ।

2. सभी वस्तुओं, उत्पादों, विनिर्माणों, और अर्ध-विनिर्माण, जिन में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, से सम्बन्धित निर्यात उत्पादन का विकास और विस्तार :—

(क) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और अंकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अन्तर्गत आने वाली कृषि उपज;

(ख) समुद्री उत्पाद;

(ग) औद्योगिक उत्पाद (इंजीनियरी का सामान, कैमिकल्स, प्लास्टिक, चमड़ा उत्पाद, आदि);

(घ) ईंधन, खनिज और खनिज उत्पाद ;

(ङ) विनिर्दिष्ट निर्यातोन्मुख उत्पाद (वस्त्र, पटसन उत्पाद, हस्तशिल्प, बागान उपज, आदि) जो प्रत्यक्षतः इस विभाग के भारसाधन में हैं ।

3. वे सभी संगठन और संस्थाएं जो निर्यात उद्यम से सम्बन्धित सेवाओं की व्यवस्था से सम्बद्ध हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) निर्यात साख और प्रत्याभूति निगम ।

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद् ।

(ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय ;

(घ) प्रदर्शनी और वाणिज्य प्रचार निदेशालय ।

(ङ) निःशुल्क व्यापार जोन ।

4. निर्यात उद्यम के लिए प्रोत्साहक और सहायक परियोजनाएं और कार्यक्रम ।

5. निम्नलिखित का उत्पादन, वितरण (घरेलू उपभोग और निर्यात के लिए) और विकास :—

(क) सब वस्त्र, जिनमें हथकरघा और सिले मिलाए कपड़े सम्मिलित हैं, किन्तु जिनके अन्तर्गत रेशम और सैलूलोज रहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलान, टेरीलिन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक) के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग नहीं आते हैं ।

(ख) पटसन ।

(ग) हस्तशिल्प ।

(घ) बागान, उपज, चाय, काफी, रबड़ और इलायची ।

6. (i) वस्त्र आयुक्त ।

(ii) पटसन आयुक्त ।

(iii) काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ।

(iv) जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ।

(v) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ।

(vi) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ।

(vii) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ।

(viii) चाय बोर्ड ।

(ix) काफी बोर्ड ।

(x) रबड़ बोर्ड ।

(xi) इलायची बोर्ड ।"

(iii) "ख. आन्तरिक व्यापार विभाग" उप-शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ग. आन्तरिक व्यापार विभाग";

(ख) "पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय", शीर्षक के नीचे,

(i) "क. पैट्रोलियम विभाग" उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"5. क. पैट्रो-रसायन

5ख. सेलूलोजरहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलान, टेरीलिन, पोलिस्टर, एक्रिलिक, आदि) के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग ।

5ग. संश्लिष्ट रबड़ ।

5घ. रंजक-द्रव्य ।"

(ii) "ख. रसायन विभाग" उप-शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ख. उर्वरक और रसायन विभाग";

(iii) इस प्रकार रखे गए "ख. उर्वरक और रसायन विभाग" उपशीर्षक के नीचे, 2, 3, 4 और 7 प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।

व० वें० गिरि,

राष्ट्रपति ।

[सं० 74/2/2/74-सी० एफ०]

जगजीत सिंह भोंगिया, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974